(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 3 / 2019

बउनवान

ललताबाई आयु 50 वर्ष बेवा मथुरालाल धाकड निवासी काल्याखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग छबडा तहसील छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी नामान्तरण संख्या 325 दि. 19.9.2017 वाके ग्राम काल्याखेडी तहसील छबडा के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 1)
3– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम 2)

निर्णय दिनांक 28.01.2020

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के तस्दीकी नामान्तरण संख्या 325 दिनांक 19.9.2017 वाके ग्राम काल्याखेडी तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 22.2.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरण तलब किया गया। जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 पेरोकार सरकार उपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे एकपक्षीय अपीलांट के अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके माल ग्राम काल्याखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ मे जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 59 मे आराजी खसरा नम्बर 03 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 67 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा कुल 03 किता तादादी 14 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है, जो अपीलांट ललताबाई बेवा मथुरालाल कोम धाकड साकिन देह रहन एस0बी0बी0जे0 कोटडी दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी चली आ रही है।

मद नं. 1 मे वर्णित आराजी पर अपीलांट बिना किसी व्यवधान एवं बाधा के कृषि काश्त करती चली आ रही है। मद नं. 1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा गांव के मौजा के बीच माल मे स्थित है, उक्त खसरा नम्बर के आस–पास भी कही रोड या सडक स्थित नही और ना ही उक्त खसरा नम्बर मे होकर कोई प्रस्तावित रोड या सडक है, जिसके बावजूद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग छबडा द्वारा बिना जॉच पडताल किये एवं बिना अपीलांट को काई नोटिस या सूचना दिये ही उक्त खसरा नम्बर 67 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा मे से रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण नम्बर 325 दिनांक 19.9.2017 से अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवा ली है, जो गैर कानूनी तरीके से दर्ज करवाई है, जिसे अपीलांट अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

यह अपीलांट को किसी आवश्यक कार्यो हेतु नकल जमाबन्दी की आवश्यकता पडी तब अपीलांट हल्का पटवारी के पास नकल जमाबन्दी हेतु गई तब उसे नकल पर दर्ज उक्त नामान्तरकरण संख्या 325 से पी.डब्ल्यु.डी. के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई, जिसके बाद अपीलांट ने नामान्तरकरण नम्बर 325 की प्रमाणित प्रतिलिपी ली जिससे पूर्ण जानकारी हुई की खसरा नम्बर 67 मे रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि पी.डब्ल्यु.डी0. छबडा के नाम दर्ज हुई है, जिसके बाद अपीलांट के श्रीमान् पटवारी महोदय से उकत आराजी वापस अपने नाम करवाने का निवेदउन किया, लेकिन उन्होने उक्त आराजी को पुनः अपीलांट के नाम दर्ज करने से मना कर दिया जिसके बाद अपीलांट ने दिनांक 18.2.2019 को तहसीलदार छबडा से भी उक्त आराजी को पुनः अपने नाम दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने भी उक्त नामान्तरकरण की अपील करने की सलाह दी अपील बिनायेमुखास्मत करार दी जाती है।

यह कि नामान्तरण नम्बर 325 दिनांक 19.9.2017 को प्रमाणित हुआ, जिसकी अपील न्यायालय मे अब पेश की गई है, जो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर, उक्त नामान्तरण खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने एवं मनन/विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अपीलांट समस्त दस्तावेजो के साथ उपस्थित नही हुए है और प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण सा.नि.वि. के कार्यो के उद्देश्य से किया जाना साबित हो रहा है। उपरोक्तानुसार प्रकरण चूंकि भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, इसलिये यह न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उपयुक्त नही समझता, अस्तु अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.02.12 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: